एक नजर में

अभा मारवाड़ी युवा मंच शाखा बुरहानपुर के शुभम जैन अध्यक्ष पद पर नियुक्त

बुरहानपुर। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच शाखा बुरहानपुर के सत्र 2026.27 के लिए मंच की साधारण सभा में चुनाव अधिकारी सुनील मूंदड़ा एवं चुनाव समिति के दामोदरजी तोदी ,मुकेश देवड़ा एलक्ष्मण मित्तल,रामेश्वर मंत्री द्वारा शुभम जैन को सर्व सहमति से सत्र 2026.27 के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया। मंच प्रचार मंत्री रामकुमार अग्रवाल ने बताया की अध्यक्ष का पदभार शुभमजी जैन ,सचिव दिलीप कासलीवाल एवं कोषाध्यक्ष के पद पर राजकरण बोथरा घोषित किए गए। साथ ही नई कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष गोविंद देवडा ,प्रदीप कसेरा ,गौरव गंगवाल ,सह सचिव राहुल जोशी ,गौरव अग्रवाल,सहकोषाध्यक्ष श्रीकृष्ण मुंदड़ा,प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी रामकुमार अग्रवाल ,सह मीडिया प्रभारी प्रिंस सेठिया ,सोशल मीडिया प्रभारी मयंक जैन एवं प्रियंक भंडारी को नई कार्यकारिणी बनने के बाद मंच के पूर्व अध्यक्ष पुनीत शर्मा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी का स्वागत कर बधाई दी।

प्रांतीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम तिबडीवाल एवं संस्थापक अध्यक्ष कमलनयन लाढ ,पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र जालान ,महेंद्र पारीक ,पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष विशाल सेठिया, मंच सदस्य प्रदीप मित्तल ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष का स्वागत कर सम्पूर्ण कार्यकारिणी को बधाई प्रेषित की स कार्यक्रम का संचालन राहुल जोशी द्वारा किया गया। अध्यक्ष शुभम जैन ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपने जो मुझे यह जिम्मेदारी दी है मैं उसे पूर्ण लगन ईमानदारी से निभाऊंगा एवं मंच को ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। आप सभी के साथ मुझे युही मिलता रहेगा तो मैं अच्छे प्रोजेक्ट के माध्यम से मंच का नाम प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर गौरवांवित करूंगा।

स्व. रूपेश शाह की स्मृति में वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को कराया भोजन

बुरहानपुर। स्व. रूपेश शाह की स्मृति में उनकी पुण्यतिथि 16मार्च पर श्री सुभाष शाह जी एवं शाह परिवार की ओरसे वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्गों के लिये भोजन कराया गया एवं चादर का वितरण किया गया।

दाऊदी बोहरा समाज 19 मार्च को मनाएगा ईद-उल-फित्र, बोहरा समाज की विभिन्न जगहों पर अदा होगी विशेष नमाज

बुरहानपुर। मध्यप्रदेश के बुरहानपुर मे दाऊदी बोहरा समाज देशभर के समाज जनो के साथ साथ बुरहानपुर मे भी बोहरा समाज 19 मार्च गुरुवार को ईद उल फ़ित्र मनायेगा। दाऊदी बोहरा जमात कमेटी के कोओडिनेटर तफ्ज़ुल हुसैन मुलायम वाला ने जानकारी देते हुए बताया की शहर आमिल शेख हैदर भाई साहब जामली की सादरत मे स्थानीय नजमी मस्जिद दाऊदपुरा मे 19 मार्च को सुबह 7 से ईद उल फ़ित्र की नमाज ईद के खुतबे के साथ अदा की जाएगी। तफ्ज़ुल हुसैन मुलायम वाला ने बातया की बुरहानपुर मे शहर की 16 मस्जिदों मे समाज जन सुबह एकत्रित होकर ईद उल फ़ित्र की नमाज अदा करेंगे नज़्मी मस्जिद मे शहर आमिल शेख हैदर भाई साहब द्वारा ईद की विशेष नमाज ईद के खुतबे के साथ अदा कराई जाएगी साथ ही शहर की अन्य मोहल्लो मे स्थित बोहरा मस्जिदों सहित वही लोधीपुरा स्थित मोहम्मदी मार्केज मस्जिद मे आमिल साहब शेख मूर्तजा भाई साहब द्वारा बोहरा समाज जनों को ईद उल फ़ित्र की नमाज अदा करायेगे।अंजुमन जाकवी जमात दाऊदी बोहरा समाज द्वारा ईद उल फ़ित्र की नमाज के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है शहर आमिल शेख हैदर भाई साहब जामली एवं नायब शहर आमिल शेख युसूफभाई साहब जमाली की देख रेख मे ईद की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। दरगाह ए हकीमी परिसर मे स्थित हकीमी मस्जिद मे दरगाह प्रबंधक शेख सब्बीर भाई साहब एवं उपप्रबंधक शेख मुस्तुफा भाई उज्जैनी की देख रेख मे पवित्र रमजान माह सहित 19 मार्च को ईद की नमाज की तैयारियां पूरी हुई।

अभियोजन अधिकारियों की एक दिवसीय विधिक कार्यशाला

बुरहानपुर। महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध एवं पोक्सो एक्ट पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गय।सहायक संचालक एवं प्रभारी उप निदेशक जिला अभियोजन संचालनालय श्री कैलाश नाथ गौतम द्वारा बताया गया कि दिनाँक 14/03/2026 को जिला मुख्यालय बुरहानपुर में लोक अभियोजन संचालनालय मप्र के निर्देशानुसार जिला अभियोजन संचालनालय के तत्वाधान में एस.सी/एस.टी एक्ट, पॉक्सो एक्ट एवं अन्य विधिक विषयों पर अभियोजन अधिकारियों की एक दिवसीय विधिक कार्यशाला होटल चौपाटी बुरहानपुर में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में प्रभारी उप श्री कैलाशनाथ गौतम,अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी रामलाल रंधावा,सेवा सदन कॉलेज बुरहानपुर के प्राचार्य सोनी साहब उपस्थित रहेए जिनके द्वारा कार्यशाला के उद्देश्यों के सम्बन्ध में सभी को जानकारी प्रदान करते हुए अन्य अभियोजन अधिकारियों के साथ आमंत्रित अतिथि मोहन सोनी साहब एवं अधिवक्ता शेरसिंह पंवार का स्वागत किया गया, अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गयाए इस कार्यशाला में बुरहानपुर जिले के समस्त अभियोजन अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे, कार्यक्रम में मंच संचालन वरिष्ठ एडीपीओ सुनील कुरील के द्वारा किया गया,प्रभारी उपसंचालक अभियोजन कैलाशनाथ गौतम द्वारा सभी उपस्थित अतिथि एवं अभियोजन अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया एवं सभी का सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गयाए। एडीपीओ रतन सिंह द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया। इस कार्यशाला में एडीपीओ सुनील कुरील,रतनसिंह भंवर अनिलसिंह बघेल,नीरज डावर, राधेश्याम वास्कले, रूपेश मुझाल्दे, ज्योति मुझाल्दे, प्रिया सोनी,उषा इंगले कर्मचारी संतोष पाटीदार, मंजूषा देशमुख, के द्वारा सक्रिय भागीदारी की गई।

नेपानगर नगर पालिका के खिलाफ फूटा गुस्सा, किया मटका फोड़ आंदोलन

विकास के लंबित कार्यों को लेकर नगर पालिका के सामने जताया विरोध

नवभारत न्यूज, बुरहानपुर/नेपानगर। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में लंबित विकास कार्यों और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर नगर पालिका के सामने चल रहे धरना प्रदर्शन ने सोमवार को नया मोड़ ले लिया। वार्ड क्रमांक 03 की महिलाओं ने इस आंदोलन में शामिल होकर प्रतीकात्मक रूप से मटका फोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया।

महिलाओं ने कहा कि नगर में लंबे समय से कई आवश्यक निर्माण कार्य और जनसुविधाओं से जुड़े मुद्दे लंबित हैं, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने और व्यवस्था को जगाने के उद्देश्य से यह प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने ष्जनता का सब्र टूटा है,इसलिए मटका फूटा हैष् और ष्खाली मटका बोल रहा,नगर विकास डोल रहा जैसे नारे लगाए।

लंबित निर्माणों को शुरू कराने की मांग:- आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि यह प्रदर्शन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि नगर के विकास और जनहित से जुड़े कार्यों को शीघ्र शुरू करवाने के लिए है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि लंबित निर्माण कार्यों को जल्द प्रारंभ किया जाए।

जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुईए तो जनसमर्थन के साथ आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पार्षद प्रतिनिधि राजेश पटेल ने बताया कि मटका फोड़कर किया गया यह प्रदर्शन नगर पालिका को जगाने और व्यवस्था की खामियों को उजागर करने के उद्देश्य से था।

इस दौरान ललिता उपाध्याय, अर्चना चोरे, वंदना जवादे, शीतल पाटिल, प्रतिभा रॉनित, छाया देशमुख सहित कई महिलाएं उपस्थित थीं। साथ ही पार्षद सपना पटेल, अनीशा पटेल, योगिता पाटिल, वर्षा ठाकरे, राजू पाटिल, कैलाश पटेल, शांताराम ठाकरे, राजू नायक, संजय और अन्य जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

धूमधाम से निकला गणगौर का बिन्दौरा, झूम उठीं महिलाएं

नवभारत न्यूज, बुरहानपुर। बुरहानपुर में गणगौर पर्व के अवसर पर सोमवार शाम संजय नगर स्थित श्रीमती बबली लडडा के निवास से धुमधाम से गणगौर बिन्दौरा यात्रा निकाली गई। ढोल एवं तासे की धुन पर निकली गणगौर बिन्दौरा यात्रा का श्रीमती रितु चौकसे ,श्रीमती खंडेलवाल एवं श्रीमती बरखा वर्मा के यहां शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान महिलाओं द्वारा राजस्थानी धुन पर खुब नृत्य किया।

समापन श्रीमती श्रीमती सौम्या पुरोहीत के निवास पर किया गया। यहां भी गणगौर बिन्दौरा के गीतो पर महिलाओं ने जमकर नृत्य करते हुवे इस पारम्परीक उत्सव का आनंद उठाया।

श्रीमती स्नेहलता पुर्वे ने बताया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में चैत्र माह मार्च-अप्रैल के दौरान मनाया जाने वाला एक पारंपरिक उत्सव है, जिसमें महिलाएं ईसर शिव और गवर पार्वती के गीतों के साथ शोभायात्रा निकालती हैं। यह विवाह.पूर्व रस्मों की तरह है, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं भक्तिपूर्ण गीतों और नाच.गाने के साथ गणगौर माता को विदा करती हैं।

इस शेभायात्रा में सौम्या पुरोहीत , प्रतिष्ठा लडडा, स्नेहलता पुर्वे ,बरखा वर्मा , संगीता खंडेलवाल, जयश्री खंडेलवाल, सरोज चौहान , श्रीमती अर्पिता चौहान , नेहा अग्रवाल ,निकिता पाराशर, रितु चौकासे, अनिता पुरोहीत, प्राची माहेश्वरी, किरन वर्मा , साक्षी चौकसे ,आदि मौजूद रही।

शर्मा की पेंटिंग को सीएम ने सराहा

नवभारत न्यूज, बुरहानपुर। बागमन पर उनके द्वारा बुरहानपुर के भागवताचार्य श्री हरिकृष्ण मुखियाजी के छोटे भाई संजय छोटू भाई मुखियाजी की बेटी एवं पिछवाई आर्टिस्ट श्रेया शर्मा की पेंटिंग देख उज्वल भविष्य की कामना करते हुवे प्रशंसा कर आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का सफल ता का श्रेय शासन प्रशासन को जाता है। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनीस दीदी, बलराज नवानी एवं युवा नेता गजेंद्र पाटील उपस्थित थे। सभी ने पिछवाई आर्टिस्ट श्रेया शर्मा की पेंटिंग की सराहना की।

बिजली कर्मचारियों ने मांगों को लेकर ऊर्जा मंत्री को सौंपा ज्ञापन

नवभारत न्यूज, बुरहानपुर। मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ जिला बुरहानपुर भारतीय मजदूर संघ से सम्बध ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अधिक्षक यंत्री के माध्यम से राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा। महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि बिजली कंपनियों में लंबे समय से कर्मचारियों से जुड़ी कई समस्याएं लंबित हैं, जिनके समाधान के लिए सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है।

ज्ञापन में प्रमुख रूप से बिजली कंपनियों में खाली पदों पर नियमित भर्ती करने, संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने, आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति, पुरानी पेंशन महंगाई भत्ता,वेतन विसंगतियां दूर करने तथा कर्मचारियों के कार्यभार को कम करने के लिए नए पद सृजित करने की मांग रखी गई। इसके साथ ही कर्मचारियों की सेवा शर्तों और सुरक्षा सुविधाओं में सुधार की बात भी कही गई है।

महासंघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशभर के बिजली कर्मचारी आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। इस अवसर पर संघठन के पदाधिकारी सतीश महाजन, सुरेश महाजन, केके ठाकुर एवं संघ के वरिष्ठ प्रकाश काले, उपेन्द्र जैन उपस्थित रहें।

एक शाम हनुमान के नाम... पं. मेहता देंगे व्याख्यान

नवभारत न्यूज, बुरहानपुर। जीवन प्रबंधन समूह, जिला इकाई बुरहानपुर द्वारा श्एक शाम हनुमान के नामश् कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता उज्जैन से उपस्थित होकर व्याख्यान देंगे।

आयोजन बहादरपुर रोड स्थित राजस्थानी भवन में 17 मार्च को शाम 6 बजे से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में पंडित विजय शंकर मेहता अपने मुखारविंद से जीवन प्रबंधनए आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्यों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार व्यक्त करेंगे। जीवन प्रबंधन समूह जिला इकाई बुरहानपुर के संयोजक महेंद्र कुमार पारीक ने बताया कि पंडित विजय शंकर मेहता वर्तमान समय के महत्वपूर्ण विषयों पर देश और विदेश में व्याख्यान देते रहते हैं। उनके प्रवचनों से आम जनमानस में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा जीवन मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ती है।उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में सकारात्मक सोचए नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देना है। आयोजन समिति ने शहर के सभी धर्मप्रेमी नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचकर व्याख्यान का लाभ लें। कार्यक्रम को लेकर आयोजन समिति और श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह का माहौल देखा जा रहा है।

प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निवास पहुंचकर शोक व्यक्त किया

नवभारत न्यूज, बुरहानपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल की सुपुत्री सुरभि खण्डेलवाल के दु:खद निधन पर उनके निवास स्थान बैतूल पहुंचकर बुरहानपुर से युवा नेता अमित मिश्रा, भाजपा जिला महामंत्री चिंतामन जी महाजन ,कोषाध्यक्ष कैलाश जी पारीक , उमेश वर्मा, लालचंद वाधवानी एवं मोहन जी डुबवानी द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक व्यक्त किया तथा ईश्वर से प्रार्थना की कि वह परिवार को संबल प्रदान किया।

देह व्यापार का मामला : बुरहानपुर कोर्ट का फैसला, तीन महिलाएं-एक पुरुष दोषी करार

नवभारत न्यूज, बुरहानपुर। बुरहानपुर में अनैतिक देह व्यापार के मामले में कोर्ट ने सोमवार को चार आरोपियों को अलग.अलग सजा सुनाई है। इन आरोपियों में तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैंए जिन्हें पुलिस की दबिश के बाद पकड़ा गया था।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिलसिंह बघेल ने बताया कि 13 अगस्त 2023 को शिकारपुरा थाने में पदस्थ विवेचना अधिकारी कमल पंवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शिकारपुरा क्षेत्र की एक गली में देह व्यापार चल रहा है।

इस सूचना पर आरक्षक विजय को सिविल ड्रेस में मौके पर भेजा गया। जिसमें उपनिरीक्षक सखाराम पगारे, अर्चना चौहान, विजय पाटीदार और आरक्षक ज्योति शामिल थे। शिकारपुरा में एक मकान के पीछे पहुंची। खिड़की की दरार से देखने पर अंदर सिविल ड्रेस में गए पुलिसकर्मी विजय से एक महिला बातचीत करती और उसे नोट देती दिखी।

इसके बाद टीम और पंचों ने मकान का दरवाजा खटखटाया। वहां मौजूद एक महिला से पूछताछ की गई। घर के दूसरे कमरों में दो अन्य महिलाएं और एक पुरुष पलंग पर संदिग्ध अवस्था में अर्धनग्न पाए गए। पुरुष आरोपी ने अपना नाम मूलचंद पिता बजरंग लाल बताया। पूछताछ में मूलचंद ने 500.500 रुपए लेकर गलत काम करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपियों से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

सभी दोषियों को सजा मिली:- अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। पहली महिला आरोपी को धारा 3 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में एक वर्ष का कठोर कारावास और 2000 रुपए का अर्थदंडए धारा 4 में छह माह का साधारण कारावास और 500 रुपए का अर्थदंड तथा धारा 5 में तीन वर्ष का कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

दूसरी महिला आरोपी को धारा 4 में छह माह का कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड दिया गया। तीसरी महिला आरोपी को धारा 4 में छह माह का साधारण कारावास और 500 रुपए का अर्थदंड मिला।

पुरुष आरोपी मूलचंद को धारा 5 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में तीन वर्ष का साधारण कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिलसिंह बघेल,सुश्री उषा इंगले, राधेश्याम वास्केल द्वारा की गई जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपियों को दंडित किया गया।

एक नजर | **मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत जारी किया आदेश**

कलेक्टर ने लगाई अशासकीय और निजी नलकूप खनन करने पर रोक

16 मार्च से 31 जुलाई तक आदेश प्रभावशील

नवभारत न्यूज, बुरहानपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्ष सिंह ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधन अधिनियम 2002 की धारा.3 के अंतर्गत बुरहानपुर जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। यह आदेश कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया है।

जारी आदेशानुसार जिले में भू.जलस्तर को दृष्टिगत रखते हुये संपूर्ण जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं जिले की सीमा क्षेत्र में नलकूप,बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुमति के बिना न तो प्रवेश करेगी और न ही बिना अनुमति के कोई नया नलकूप खनन करेगी ;सार्वजनिक सड़कों से गुजरने वाली मशीनों को छोड़कर ।

प्रत्येक राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को ऐसी बोरिंग मशीनें जो अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करेगी अथवा नलकूप खनन,बोरिंग का प्रयास कर रही मशीनों को जब्त कर एफ़आईआर दर्ज कराने का अधिकार होगा।

समस्त अनुविभागीय अधिकारी ,राजस्व को उनके क्षेत्रान्तर्गत इस निमित्त अपरिहार्य प्रकरणों के लिये व अन्य प्रयोजनों हेतु उचित जाँच के पश्चात् अनुज्ञा देने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। इस अधिसूचना का उल्लंघन करने पर अधिनियम के तहत प्रथम अपराध के लिये पांच हजार रूपये के जुर्माने से और पश्चातवर्ती प्रत्येक अपराध के लिये दस हजार रूपये से या कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

उपरोक्त आदेश शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले नलकूप खनन पर लागू नहीं होगा तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कार्य योजनांतर्गत नलकूप खनन का कार्य कराया जा सकेगाए इस हेतु उपरोक्तानुसार अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं होगा। नवीन खनित निजी नलकूप एवं अन्य विद्यमान निजी जल स्त्रोतों काए आवश्यकता होने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था हेतु अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अधिग्रहण किया जा सकेगा।

कलेक्टर हर्ष सिंह ने आदेशित किया है कि निजी ड्रिलिंग मशीनों के वाहनों का जिले के भीतर की सीमा में आवागमन बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 16 मार्चए 2026 से लागू होकर 31 जुलाई 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

इस अवधि में जिले में बिना सम्यक अनुमति के प्राईवेट ट्यूबवेल, हैण्डपंप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तदानुसार मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3,1 के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर पालिका निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नये निजी नलकूप खनन की स्वीकृति कार्यपालन यंत्री, संबंधित सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अनुशंसा पर शहर एवं तहसील बुरहानपुर के लिये अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर राजस्व तथा तहसील खकनार एवं नेपानगर के लिये अनुविभागीय अधिकारी नेपानगर ,राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रदान की जावेगी। नदी.नालों के बहते पानी से संबंधित नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत के परामर्श पर सिंचाई हेतु अथवा औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल लेने की स्वीकृति अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में प्रदाय की जाएगी।